□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

□□□□र्□□□ प्रश्न □ख□□ : 483

26 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□

आयुष्मान भारत योजना

*483. श्री रविन्दर कुशवाहाः

श्री बी॰ मणिक्क्म टैगोरः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) आयुष्मान भारत योजना के अंतगत लाभार्थियों को राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश म सरकारी, निजी तथा सरकारी-निजी भागीदारी वाले अस्पतालों को संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतगत महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिये अब तक जारी को गई धनराशि कितनी है; और

(घ) उपयुक्त योजना म थड पार्टी बीमा कंपनियों और एजेन्सियों को भूमिका क्या है?

□त□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री□ (□□. □□ □□□□)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 26 □□□□, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न □□483 □□ □त□□ □ □□ले□□□□ □□□□□

(क) आयुष्मान भारत योजना म दो घटक शामिल ह (i) आयुष्मान भारत के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल - स्वास्थ्य और कल्याण कद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी), और (ii) आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का प्रावधान। एबी-एचडब्ल्यूसी म सभी के लिए सेवाएं नि:शुल्क और सावजनिक ह।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थो परिवारों को कुल संख्या लगभग 10.74 करोड़ है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, राज्य अपनी लागत पर अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने के लिए स्वतंत्र ह। अतिरिक्त लाभार्थो परिवारों सहित लाभार्थियों जिन्ह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमजेएवाई लाभ दिया गया है, का राज्य-वार विवरण □□□ग□□ पर ह।

(ख) दिनांक 23.07.2019 को स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 16,039 अस्पतालों (8059 निजी अस्पताल और 7980 सावजनिक अस्पताल) को पैनलबद्ध किया गया है।

(ग) आयुष्मान भारत योजना के तहत वित्तीय वष 2018-19 म महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए जारी को गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.□□	□□ज□	□□□-एचडब्ल्यू □□ (रुपए करोड़ म)	□□□-□□□□□□□□□ (रु□□ □□□□ □)
1	महाराष्ट्र	91.27	266.32
2.	उत्तर प्रदेश	176.10	85.01
3	राजस्थान	83.70	अभी कायान्वयन शुरू नहों किया गया है।

(घ) एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत, राज्यों को कायान्वयन का तरीका चुनने को छूट है। वे इसे बीमा मोड म, या ट्रस्ट के माध्यम से या मिश्रित मोड अथात बीमा और ट्रस्ट मोड- दोनों म लागू कर सकते ह।

बीमा मोड के माध्यम से योजना को लागू करने वाले राज्य खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन करते ह। ट्रस्ट मोड के माध्यम से योजना को लागू करने वाले राज्य, योजना को लागू करने के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से थड-पार्टो एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) /इम्प्लीमर्माटग सपोट एजसी (आईएसए) को नियुक्ति कर सकते ह। ऐसे टीपीए/आईएसए के चयन म भारत सरकार को कोई भूमिका नहों है। टीपीए/आईएसए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों म निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने म राज्यों को सहायता कर रहे ह।

□□□ग□□		
□□□-पीएमजेएवाई के अंतर्गत शामिल लाभार्थी परिवारों का राज्य-□□□ □□□□□ (23.07.2019 □□□□□□□)		
क्र.□□	□□ज□	□□□□□ □□□□□f □f□□□□ (□□□ □)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह*	0.78
2	आंध्र प्रदेश *	90.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.89
4	असम	27.02
5	बिहार	108.95
6	चंडीगढ़	0.71
7	छत्तीसगढ़	41.46
8	दादरा और नगर हवेली *	0.66
9	दमन और दीव*	0.45
10	गोवा	0.37
11	गुजरात*	70.00
12	हरियाणा	15.51
13	हिमाचल प्रदेश	4.80
14	जम्मू और कश्मीर	6.13
15	झारखंड *	57.00
16	कनाटक*	115.00
17	केरल	34.84
18	लक्षद्वीप	0.01
19	मध्य प्रदेश*	128.80
20	महाराष्ट्र	83.63
21	मणिपुर	2.77
22	मेघालय *	8.37
23	मिजोरम	1.95
24	नगालड	2.33
25	पुदुच्चेरी	1.04
26	पंजाब *	42.00
27	सिक्किम	0.40
28	तमिलनाडु *	157.00
29	त्रिपुरा	4.90
30	उत्तर प्रदेश	118.04
31	उत्तराखंड*	19.68
32	पश्चिम बंगाल (जनवरी, 2019 तक कवर किए गए)	112.00
□□		1,257.49#

* पीएमजेएवाई का राज्य विस्तार शामिल ह

एसईसीसी डेटाबेस के अनुसार एबी- पीएमजेएवाई के लिए पात्र 10.74 करोड़ चिन्हित परिवार शामिल ह।

*****